(166)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्र. प.18(44)नविवि/जयपुर/2014 जयपुर, दिनांक -3 FEB 2015

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- हाइटेंशन **लाइनों** के सेफ्टी **कॉरीडोर के** साथ सडकों की **चौडाई व** भवनों **की ऊंचाई** बाबत्।

संदर्भ:- जयपुर **विकास** प्राधिकरण के **पत्र** क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि./बीपीसी(एल.पी.)/सु.अ./14/डी-228 दिनांक 28.10.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम एवं **पावर** ग्रिड कॉर्पोरेशन **ऑफ** इण्डिया द्वारा आपको प्रेषित पत्रों (प्रति संलग्न) के अनुसार 132 **क.वी.** हाईटेंशन लाईन **के लिए** ROW 27 मीटर अंकित किया गया है, जिसमें 13.8 मीटर सेफ्टी **कॉरीडोर** रखा जाना **आवश्यक** है अर्थात शेष 13.2 मीटर में से सेफ्टी कॉरीडोर के दोनों ओर 6.6 मीटर चौड़ाई की पट्टी उपलब्ध सड़क के मार्गाधिकार में सडक निर्माण हेतु प्रयोग की जा **सकती** है। इसी प्रकार **220** के.वी. लाईन के लिए ROW 35 मीटर अंकित किया गया है, **जिसमे 18.6** मीटर सेफ्टी **कॉरीडोर** रखा जाना आवश्यक है अर्थात् शेष 16.4 मीटर में से सेफ्टी **कॉरीडोर** के दोनों ओर **8.2** मीटर चौडाई की पटटी उपलब्ध सडक के मार्गाधिकार में सडक निर्माण हेतु प्रयोग की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित **भवनों** की ऊँचाई **निर्धारित** किये जाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है:-

"ROW of Hightention Line- Width of Safety Corridor+ Width of Existing Road."

उदाहरणार्थ- 132 के.वी. **हाईटेंशन** लाईन तथा वर्तमान सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होने की स्थिति में सडक का मार्गाधिकार निम्नानुसार होगा:-

"27 मीटर-13.8 मीटर (सैफ्टी कॉरीडोर) =13.2 मीटर (6.6 मीटर दोनो ओर) अर्थात 12 मीटर + 6.6 मीटर = 18.6 मीटर के आधार पर इस सड़क पर स्थित भवनों की ऊँचाई निर्धारित की जा सकती है।

02/2/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय